



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा संख्या :- 174/2022 शब्बीर बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
31-10-22	<p> तहसीलदार झुंझुनूं से पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/2611 दिनांक 31.08.2022 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम/कस्बा झुंझुनूं के हाल खाता संख्या 188 स्थित है जिसमें प्रार्थी का 2037/29696 हिस्सा है। प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज काशत है। प्रार्थी के पिता अलादीन के विरासत के नामान्तरण के समय प्रार्थी की जाति व्यापारी दर्ज थी जबकि राजस्व रिकार्ड में भूलवश वर्तमान में जाति चैजारा गलत दर्ज हो गई है जिसको दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार झुंझुनूं की रिपोर्ट अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 31.08.22 के अनुसार मृतक अलादीन के समस्त वारिसान की जाती चैजारा के स्थान पर व्यापारी दर्ज किये जाने की अभिशंषा की गई है। </p> <p> अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम/कस्बा झुंझुनूं के हाल खाता संख्या 188 में मृतक अलादीन के समस्त वारिसान की जाती चैजारा के स्थान पर व्यापारी दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। </p> <p style="text-align: center;">  उपाखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.) </p>	<p style="text-align: center;">  </p>